न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर–54 /2022 संवत:–2079

राजस्थान सरकार जरिये वनाम कलुदेवी w/o भीखाराम, गवरी पत्नि नवलाराम, घमण्डाराम s/o भीखाराम, चनाराम s/o नवलाराम, बाबुराम s/o गेनाराम, राऊराम s/o भीखाराम, रामाराम s/o गेनाराम, विरधाराम s/o भीखाराम, हनुमानराम s/o नवलाराम (गैर सायल)

पटवारी हल्का सड़ा

निर्णय दिनांक:–10-3-2023

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सड़ा ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2079 में राजस्व ग्राम आरावा के खसरा नम्बर 258/49 में कुल रकबा 0.0659 हे. ~~बीघा~~ किस्म भूमि गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0659 हे. ~~बीघा~~ भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलव किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना सावित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.01 रूपये का राउण्ड अप एक रूपये का 50 गुणा अर्थात 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय तहसीलदार (स्टाम्प)

वर्ष 2022-23 के राजस्व लेखा पत्रिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 35 पर क्र.सं 01 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 50/- की मांग दर्ज की गई।

M. [signature]
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

[signature]
तहसीलदार सिणधरी
तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर